an>

Title: Need to protect the interest of domestic wheat growing farmers keeping in view the bumper wheat crop and low import duty on wheat.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) ः कुछ समय पहले हमारा देश तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा था, लेकिन इसके आयात के कारण यह आत्मनिर्भरता टूट गई। ऐसा ही अब चने और गेहूं के मामले में हो रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अपने देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ गेहूं निर्यात करने की क्षमता भी रखता है। देश में गेहूं आयात पर पहले ही आयात शुल्क 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है और अब गेहूं आयात शुल्क से मुक्त होने का रहा है। गेहूं भारत का मुख्य खाद्यान्न है और भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन देश में गेहूं आयात करने पर स्वदेशी गेहूं के दाम गिर जाएंगे जिसके कारण गेहूं की बुआई किसान बंद कर देगा। इससे बचने के लिए वर्तमान में गेहूं आयात के लिए किए गए सभी सौदे रद्द कर इस पर पुनः आयात शुल्क बढ़ाकर लगाया जाए। इसके लिए एक समिति का गठन करना नितांत आवश्यक है। जिसमें कृषि वैज्ञानिक एवं किसान संगठनों का एक प्रतिनिधि शामिल हो और गेहूं की बम्पर पैदावार पर इसके निर्यात की अनुमति हो और देश के बाज़ारों में उपलब्ध मूल्य यहां के किसानों के लिए लाभकारी बने, ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है।

सरकार को इसमें देश के किसानों के हितों एवं आयातों की रक्षा के आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।